राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2317/2025

डॉ. मोहम्मद मकसूद

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुष विभाग,

शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री शाजीद अली, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में आदेश दिनांक 16.01.2025 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, सुवासा, बूंदी से सीएचसी, हिण्डोली, बूंदी में किया गया है।
3. अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह तथ्य अंकित नहीं किया है कि उसने स्थानान्तरित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में अपना वर्तमान पदस्थापन स्थान पूर्व का ही स्थान अंकित किया है, जबकि अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपीलार्थी ने नये स्थानान्तरित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने नये स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है।
4. हम पाते हैं कि चूंकि अपीलार्थी ने नये स्थानान्तरित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है, परन्तु उक्त तथ्य अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में अंकित नहीं किया गया है। ऐसे में हम पाते है कि यह अपील स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी द्वारा नये स्थान पर कार्य ग्रहण किये जाने से अपीलार्थी का वाद कारण समाप्त नहीं होता

है, क्योंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण विधि विरूद्ध तरीके से किया गया है। स्थानान्तरित स्थान पर कार्य ग्रहण करने के बाद भी अपीलार्थी आलोच्य आदेश को चुनौती देने के लिये सक्षम है। उनका यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी है, लेकिन अपीलार्थी को जिस स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है, वहां चिकित्सा अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

5. प्रथम दृष्टया हम पाते हैं कि यह अपील स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपीलार्थी ने नये स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी ने जिस स्थान पर कार्य ग्रहण किया है, वहां पर अपीलार्थी उच्च पद के विरूद्ध कार्यरत है, जिसमें नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष